सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 11/2012 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

बनाम — प्रार्थी

अब्दुल रसूलखां पुत्र अब्दुल गफूरखां जाति मुसलमान निवासी झुंझुनूं हाल नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तरप्रदेश)

2– सलीम हेदर पुत्र अब्दुल रसूल जाति मुसलमान निवासी झुंझुनूं हाल नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तरप्रदेश)

3– नसीम हेदर पुत्र अब्दुल रसूल जाति मुसलमान निवासी झुंझुनूं हाल नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तरप्रदेश)

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थीगणों की ओर से – श्री मोहम्मद रज्जाक समेजा अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.03.2019

1– प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2NGM तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 172/27 व 172/28 में कुल रकबा 22.18 बीघा भूमि जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2032–2035, जमाबंदी संवत 2068–2071 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के निर्णय 04.01.1989 के द्वारा श्रीमती इलियास पत्नी अब्दुल रसूलखां जाति मुसलमान सा. इस्लामपुर तहसील झुंझुनूं को विशेष आवंटन कर दी। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2– रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3– तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

4– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि चक 2NGM तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 172/27 व 172/28 में कुल रकबा 22.18 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड संवत 2032–2035, जमाबंदी संवत 2068–2071 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपने आदेश दिनांक 04.01.

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1989 के द्वारा अप्रार्थीयां को आवंटित कर दी। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन आगौर पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5— अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 232 सपठित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 82 के प्रावधानों के अन्तर्गत कलक्टर अपने अधीनस्थ न्यायालयों से उनके द्वारा किये गये निर्णय एवं आदेशों की वैधानिकता आदि के संबंध में सुनवाई कर रैफरेंस करने के लिए अधिकृत है। जबकि इस मामले में कानूनी स्थिति भिन्न है । अप्रार्थी को राज्य सरकार के निर्णय के तहत राजस्थान उपनिवेशन नियम 1975 के नियम 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जारी आदेश दिनांक 14.10.1988 के क्रम में चक 2 एनजीएम मुरब्बा नम्बर 172/27 एवं 172/28 आबंटन किया गया जो कि राज पत्र में प्रकाशित था। प्रार्थी को आवंटन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी कर भूमियों कां विक्रय करने हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रार्थी ने राजपत्र में निर्धारित/प्रकाशित उक्त भूमि कीमत देकर भूमि की सद्भावनापूर्वक खरीद की। जिसकी उसे दिनांक 01.09.1995 को खातेदारी सनद उपखण्ड अधिकारी,(उतर) बीकानेर द्वारा जारी की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के परिपेक्ष्य/परन्तुक को मध्यनजर रखते हुवे ही विशिष्ट कानून के तहत परियोजना क्षेत्र में स्थित भूमि को सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में अधिसूचित करते हुवे भूमि का विक्रय किया है। इस भूमि का शासन स्तर से जब तक पुनः राजपत्र द्वारा प्रतिहारित (विड्रा) नहीं किया जाता तब तक कानूनन कार्यवाही नहीं की जा सकती। सार्वजनिक उद्देश्य से जल संग्रहण एवं सार्वजनिक उपयोग के लिये पक्की डिग्गीयां के निर्माण परियोजना क्षेत्र में करने के पश्चात विशेष से राजपत्र में प्रकाशित कर ही विक्रय किया है। तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र में याचिका संख्या 1536/3 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय 02.08.2004 का हवाला दिया है एवं जोहड़ पायतन व अन्य सार्वजनिक भूमियों को 15.8.1947 की स्थिति में निर्णानुसार लाया जाना है। जिसमें प्रार्थी की भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि बताया गया है मौके पर इस भूमि में निर्मित नहर हुंसनसर माईनर, सार्वजनिक सड़क भी है। प्रार्थी को आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का पायतन नहीं है। बल्कि प्लालिंग अनुसार पक्की नहर व सड़क व खाला है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रेफरेंस कार्यवाही इसी स्टेज पर कानूनन कतई चलाने योग्य नहीं होने के कारण प्रारम्भ स्तर पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6– हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि चक 2NGM तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 172/27 व 172/28 में कुल रकबा 22.18 बीघा भूमि खसरा गिरदावरी संवत 2032–2035 में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन मुफीदआम दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी संवत 2068–2071 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार प्रश्नगत भूमि के नामान्तरण संख्या 14 जोहड पायतन से अप्रार्थीया इलियास पत्नी अब्दुल रसूल खां जाति मुसलमान सा. इस्लामपुरा तहसील झुंझुनूं के नाम विशेष आवंटन में भूमि दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 34 से भी दर्ज हुआ तथा जमाबंदी संवत 2064–67 में विरासतन इन्तकाल संख्या 69 दिनांक 3.4.08 अप्रार्थीगणों के नाम से दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही उस पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 2.8.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

7– उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थीया के पक्ष में चक 2NGM तहसील बीकानेर के मुरब्बा नम्बर 172/27 व 172/28 में कुल रकबा 22.18 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत सहायक आयुक्त उपनिवेशन इगानयो बीकानेर द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 04.01.1989 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में अराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8– उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.05.2019 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9– आदेश आज दिनांक 26.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner